

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.3 ( ) /आरएमएससी/वित्त/अन्तर DDW परिवहन/2015-16/२६३३

मेल : rmsg@nic.in

Website : www.rmsg.nic.in


दिनांक: १२/२/२०१६

निगम के जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों तक अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह में हस्तान्तरण हेतु परिवहन कार्य (Inter DDW Transfer) एवं NOSQ औषधियों के राज्य एवं राज्य से बाहर स्थित फर्मों को भिजवाने हेतु परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह में औषधि आदि हस्तान्तरण हेतु परिवहन कार्य (Inter DDW Transfer) की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से ई-निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई-निविदा शुल्क (₹)	प्रि-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	नॉन कॉल चैन अन्तर्गत औषधियाँ/ सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के कार्ड्स अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह (DDW)/निगम मुख्यालय पर परिवहन कार्य (राज्य एवं राज्य से बाहर)	35.00	0.70	1000.00	15.02.2016 3.30 बजे	15.03.2016 12.00 बजे तक	15.03.2016 03.00 PM तक	15.03.2016 04.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाइट "[www.dipronline.org](http://www.dipronline.org)" एवं [www.rmsg.nic.in](http://www.rmsg.nic.in) पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोरमेट में वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 1000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिभूति (bid security) राशि ₹ 70,000.00 के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 15.03.2016 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-य) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 15.03.2016 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट [www.rmsg.nic.in](http://www.rmsg.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

  
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

प्रपत्र 'अ' तकनीकी ई-निविदा

ई-निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि - 15.03.2016

समय अपराह्न 3.00 बजे तक

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क - ₹ 1000/-

वर्ष 2016-17 में औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह में हस्तान्तरण (Inter-DDW) एवं NOSQ औषधियों को राज्य से बाहर स्थित फर्मों को लौटाने हेतु परिवहन कार्य के लिए  
दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह में हस्तान्तरण (Inter DDW) एवं NOSQ औषधियों को राज्य से बाहर फर्मों को भिजवाने हेतु परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाइल व मेल सहित .....
3. फर्म का पेन एवं टेन नम्बर .....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर .....
5. कार्य का विवरण जिसके लिए ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही है .....
6. किसको संबोधित किया जाना है - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
7. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ.3 ( )/आरएमएससी/वित्त/अन्तर DDW परिवहन/2015-16/ दिनांक .....
8. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 1000/- एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या.....दिनांक..... प्रबन्ध निदेशक, RMSC एवं MD, RISL के पक्ष मे देय संलग्न है।
9. परिवहन कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से 12 माह तक के लिए होगी जिसे आपसी सहमति से 03 माह तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिष्ठृति (bid security) के रूप में ₹ 70,000/- का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

ड्राफ्ट संख्या/दिनांक

बैंक का नाम

राशि (₹)

11. ई-निविदा प्रपत्र के साथ यदि लागू हो तो बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएँ।
12. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'स')। ई-निविदाकार का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्न ओवर ₹ 5.00 लाख होना आवश्यक है।
13. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, की प्रति संलग्न की जाएँ।
14. ई-निविदाकार पंजीकृत ट्रांसपोर्ट/पंजीकृत सोसायटी/कोरियर सेवा प्रदाता हो जिसके पास ख्यां के ट्रक अथवा फर्म के नाम से ट्रक हो एवं वैध ट्रांसपोर्ट का परमिट अथवा पंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाता आदि भी हो (प्रपत्र 'द')।
15. पूर्व में परिवहन अथवा कोरियर सेवा कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करें (प्रपत्र 'य')।
16. परिवहन हेतु जिला मुख्यालय पर संरक्षा अथवा सेवा प्रदाता के पास जिलेवार उपलब्ध वाहनों का विवरण मय सम्पर्क सूत्र का नाम, कार्यालय का पता एवं दूरभाष व मोबाइल नम्बर की सूचना (प्रपत्र 'र') संलग्न है।।
17. ई-निविदादाता के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएँ (प्रपत्र 'ल') संलग्न है।
18. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस व बोली प्रत्याभूति(bid security) के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।
19. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।
20. ई-निविदादाता फर्म को ई-निविदा के साथ गत तीन वर्षों में परिवहन कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.3 ( )/आरएमएससी/वित्त/अन्तर DDW परिवहन/2015-16/

मेल : rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक:

**औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह में हस्तान्तरण एवं NOSQ औषधियों को राज्य से बाहर स्थित फर्मों को भिजवाने हेतु परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा एवं अनुबंध की शर्तें**

- वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई-निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रपत्र के संलग्न एक्सल फोरमेट में ही प्रस्तुत की जाएगी (BOQ)।
- तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय बिड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्याग्रह आवश्यकता होने पर निगम की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी ई-निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
- ई-निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, निगम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- बिना ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्कों के ई-निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं ई-निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- सफल ई-निविदादाता को वार्षिक अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
  - डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से रूप में
- ई-निविदा फर्म में किसी प्रकार की कॉट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
- बातचीत (Negociation) केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही ई-निविदादाताओं से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ रिंग मूल्य उद्घरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रक्रियाधार्तक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती हैं तो क्रय समिति ई-निविदा को नामजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।
- किसी भी ई-निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए ई-निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
- ई-निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 "खुली निविदा" के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें" एवं अन्य प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।
- ई-निविदा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी/पंजीकृत कौरियर सेवा प्रदाताओं द्वारा ही दी जानी चाहिए। इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख ई-निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक

है। ई-निविदाकार के पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से पंजीकृत ट्रक हो अथवा परिवहन/कोरियर सेवा की उचित व्यवस्था हो।

12. ई-निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में प्रत्यके साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किए जाने की स्थिति में पावर आफ अटोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ई-निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
13. ई-निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही ई-निविदा भरी जाएगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
14. ई-निविदा दिनांक 15.03.2016 को सायं 4.00 बजे उपस्थित ई-निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय ई-निविदा खोलने की तिथि तक नीकी ई-निविदाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित की जाएगी जिसकी खूचना सम्बन्धित ई-निविदादाता को दूरभाष पर दी जाएगी।
15. ई-निविदा खोलने की तिथि से ई-निविदा स्वीकार हेतु 70 दिवस तक वैध रहेगी। इस अवधि में ई-निविदाकार ई-निविदा वापस नहीं ले सकेगा।
16. ई-निविदा दाता अपनी ई-निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को अधिकृत जिला मुख्यालयों स्थित प्रतिनिधि फर्मों के अतिरिक्त न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे ई-निविदा पर दे सकेगा।
17. दरें अनुबन्ध की तिथि से 12 माह (मार्च, 2017 तक) के लिए मान्य होगी। ये दरें एफ.ओ.आर. राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) एवं राज्य से बाहर के लिए होगी। दरें में लौडिंग/अनलौडिंग चार्जेज, स्थानीय एवं गत्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय कर (टोल टैक्स के अतिरिक्त), बीमा आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जाएँ। परिवहन कार्य में काम आने वाली समस्त पैकिंग सामग्री सम्बन्धित जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) द्वारा दी जाएगी। ई-निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
18. ई-निविदा में दर्शायी गई कार्य की अनुभानित राशि सांकेतिक है। कार्यादेश आवश्यकतानुसार ही जारी किए जा सकेंगे एवं ई-निविदादाताओं को कार्य निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार सम्पादित करना होगा।
19. भेजा जाने वाला सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के सुरक्षित एवं सही मात्रा में बताए गए अथवा निर्देशित जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) पर नॉन कॉल्ड चैन औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स के कार्टन 04 कार्य दिवसों अथवा निगम द्वारा आदेशित अवधि के अन्दर पहुँचाना होगा। सामग्री पहुँच का प्रमाण/रसीद (Proof of delivery) प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी को प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सामान ई-निविदाकार/ई-निविदाकार फर्म के पंजीकृत ट्रकों/वाहनों/कोरियर सेवा से ही भेजना होगा।
20. यदि परिसमाप्ति क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
  - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
  - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%
  - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%
  - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

## टिप्पणी :-

- विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
  - स्वीकार की गई निर्धारित परिसमाप्ति क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
  - यदि परिवहनकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत परिवहन को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जथपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
21. संबंधित कार्यालय जहाँ साल पहुँचाना है, वहाँ से माल प्राप्ति की रसीद (**Proof of delivery**) सक्षम अधिकारी / भण्डारपाल से मय प्राप्ति मुहर एवं दिनांक के प्राप्त होने के उपरान्त ही निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा।
22. सामान निगम के जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से उठाना होगा। औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि भेजने वाले जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) के भण्डारपाल/प्रभारी अधिकारी, के आदेश देने के 24 घण्टे के भीतर सामग्री उठानी होगी एवं प्रमाण (**Proof of receipt**) भी प्रस्तुत करना होगा। निगम के जिला मुख्यालयों स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) का विस्तृत विवरण मय प्रभारी अधिकारी एवं दूरभाष प्रथम 'R' के अनुसार है। समस्त सामान ई-निविदादाता की जोखिम पर भेजा जाएगा। गन्तव्य स्थान पर यदि सामान कम चढ़ता है या बिल्कुल नहीं पढ़ता है, टूट फूट के साथ पढ़ता है तो ऐसे सामान की पूर्ण कीमत एवं 5% पेनल्टी ई-निविदादाता से वसूल की जाएगी। औषधियाँ एवं अन्य ऐसी सामग्री जिसके अवधि पार होने की संभावना रहती है। आदेशित अवधि में ही पढ़तानी होगी अन्यथा ऐसे मामलों मे ई-निविदाकार फर्म से सामग्री की लागत की पूर्ण वसूली की जाएगी।
23. यदि औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि को परिवहन में खराब कर दिया गया, फानी में भीगने दिया या पैकिंग तोड़ दी गई या ऐसी ही परिस्थितियों में नुकसान हुआ तो पूर्ण हर्जाना/कीमत एवं 5% पेनल्टी की राशि ई-निविदादाता से वसूल की जाएगी।
24. सामान के जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs) में सम्भालने के पश्चात् गन्तव्य स्थान तक रास्ते में किसी भी प्रकार की हानि के लिए परिवहनकर्ता/सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी एवं क्षति की स्थिति में सामान की राशि परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी।
25. ई-निविदादाता को ई-निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह में नियमानुसार देय 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिशुति (Performance security) में बोली प्रतिशुति (bid security) का समायोजन करते हुए बैकर्स चेक/डी0डी0 के रूप में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के नाम से जमा करवाकर अनुबंध करना होगा। अनुबंध के लिए निर्धारित प्रारूप में एक करार निष्पादित करना होगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का बहन ई-निविदाकार करेगा तथा निगम को स्टाम्प लगे निष्पादित करार की मूल प्रति निःशुल्क दी जाएगी। यदि ई-निविदाकार कार्य सम्पादन प्रतिशुति (Performance security) जमा करने या निहित काल अवधि में करार नामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो उसको शर्तों का भंग माना जाएगा तथा बोली प्रतिशुति (bid security) जब्त कर ली जाएगी। चूंकि निगम का कीमती सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हेतु ई-निविदादाता को संभलाया जाता है अतः ई-निविदादाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
26. किसी भी ई-निविदा को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर ई-निविदा ही हो। निगम के पास किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

27. ई-निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहाँ उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा ताकि जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
28. यदि ई-निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वे ई-निविदाकार को कोई सूचना दिए बिना उसकी जोखिम (Risk and cost) पर कार्य सम्पन्न कराएँ। ई-निविदाकार इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा किए गए जाने वाले समस्त खर्चें एवं निगम की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। ई-निविदाकार के हर्जे खर्चें एवं जोखिम पर कार्य करते समय निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
29. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत ई-निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली ई-निविदाकार द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) में से तुरन्त कर ली जाएगी। यदि इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्पव नहीं हो तो राजस्थान लोकमान अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रबलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जाएगी।
30. ई-निविदाकार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से रुप्रोत कर के रूप में निगम द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जाएगा। ई-निविदाकार के आवेदन पर निगम द्वारा नियमानुसार आयकर कटौती का प्रभाण पत्र जारी किया जाएगा।
31. किसी भी कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी अन्य स्थान पर नहीं।
32. संविदा को समय संविदाकार एवं निगम की आपसी सहमति से अधिकतम 03 माह बढ़ाया जा सकेगा।
33. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा जो शर्त उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।
34. यदि उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो बिना पूर्व सूचना दिए संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त कर ली जाएगी।
35. अन्य किसी विवाद की स्थिति में उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 68 में उल्लेखित शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार एवं समय—समय पर प्रचलित नियम एवं शर्ते मान्य होंगी।
36. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार — बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :—
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
  - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
  - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

### **38. सत्यनिष्ठा सहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –**

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्घटपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धनकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

### **39. हित का विरोध –**

- (१) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (२) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :—
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धिताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जिन्हा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
  - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
  - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
  - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
  - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कस्टोटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

40. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील— (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-'व') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के

निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यंगित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्णोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छाप करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र – 'ब') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।  
(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों

- को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्रापट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
3. अपील के निष्ठारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, – (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) भाग्यले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, भाग्यले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन परिसित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

41. विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अन्तिम होगा व ई-निविदादाता को मान्य होगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

# BOQ

Tender Inviting Authority: M.O.RMSC, Jaipur

Name of Work: Inter DDW Drugs Transport

Contract No.: F-2 (1) /RMSC/Finance/Inter DDW Drugs Transport/2015-16/ Date:

Bidder Name:

## PRICE SCHEDULE

S.I. No.	Item Description	Quantity of Kilogram	राजस्थान लोअर बिल्डिंग लगत डीडीवी/एमसीडीवी प्रेस कॉर्ट वाराणसी/बिल्डिंग उमरार कॉर्ट एवं अ. एस. ए. ए. कागज सिल्वर	राजस्थान लोअर बिल्डिंग लगत डीडीवी/एमसीडीवी प्रेस कॉर्ट वाराणसी/बिल्डिंग उमरार कॉर्ट एवं अ. एस. ए. ए. कागज सिल्वर
1	0 से 5 किलो तक वजन	1		
2	5 किलो से 10 किलो तक वजन	1		
3	10 किलो से 20 किलो वजन	1		
4	20 किलो से अधिक वजन	1		

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म ..... का विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2012-13	
2	2013-14	
3	2014-15	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक



अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

### ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड पंजीकृत ट्रान्सपोर्ट/पंजीकृत सोसायटी/विपणन एजेन्ट हूँ/पंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाता हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा ई-निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

ई—निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने परिवहन/कोरियर सेवा का कार्य जहाँ कही भी किया है, उस कार्य में विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय में परिवहन कार्य के सन्दर्भ में कोई वाद लभित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

*१५*  
ई—निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

निगम के जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	जिला	प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (कुल 34)	दूरभाष	मोबाइल
1.	Ajmer	Dr. Mohit Deval Rajasthan Family Planing Training Centre (Old CHMO) Building) Opp. Soochna Kendra, Ajmer	0145-2970119	9983766448
2.	Bhilwara	Dr. Ashok Khatwani District Drug WareHouse C/o CM&HO Office, MG  Hospital Camps, Bhilwara-311001	01482-237609	9414115995
3.	Nagaur	Dr. Rajesh Parashar District Drug WareHouse, Swasthya Bhawan, Hawai Patti, Nagaur-341001	01582-245564	9214872610
4.	Tonk	Dr. Devraj Meena District Drug WareHouse, CM&HO Office Subhash Bazar, Tonk-304001	01432-245266	9414034676
5.	Bharatpur	Dr. S K Sharma Behind R.B.M. Hospital, Bharatpur-321001	05644-220869	9414021876
6.	Dholpur	Dr. S K Garg District Drug warehouse (Old CM&HO Office), Opp. Kotwali, Dholpur-328001 Mobile No	05642-221622	9460963372
7.	Karauli	Dr. G.S. Meena District Drug Ware House, Mandrayal Road, Karauli	07464-215100	9461002555
8.	Sawai Madhopur	Dr. Dilip Meena District Drug Ware House, CM&HO Office, Near General Hospital, Sawai Madhopur	07462-233198	9461344862
9.	Bikaner	Dr. Naval Kishore Gupta Zonal Medial Store C/o CM&HO Office Campas, Tyagi Vatika, Biscuit Wali Gali,Near Railway Station, Bikaner- 334001	0151-2530974	9829792313
10.	Churu	Dr. Sunil Kumar Jandu Bhartiya DharamShala, In Front of Bhartiya Hospital, Churu-331001	01562-250792	9413065000
11.	Hanumangarh	Dr. Preet Mohinder Singh District Drug Warehouse, Near Zila Parishad, Hanumangarh Junction, Hanumangarh-335512	01552-261176	9460647411
12.	Ganganagar	Dr. Pawan Saini District Drug Ware House, Near Civil Hospital, Suratgarh Road, NH-15, Ganganagar	0154-2463338	9414012972
13.	Alwar	Dr. K K Sharma Zonal Medial Store (ZMS) Old T.B. Hospital, Mugska Old Delhi Road, Alwar-301001	0144-2908814	7597617154
14.	Dausa	Dr. Shivcharan Meena C/o CM&HO, Swasthya Bhawan,Near Collectory Chauraha, Dausa-303303	01427-224953	7891510009
15.	Jhunjhunu	Dr. S. N. Dholpuriya District Drug Warehouse, BDK Hospital Campus, Jhunjhunu	01592-232674	9414402904

16.	Jaisalmer	Dr. B.L. Bunkar District Drug Warehouse, CM&HO Office Swasthya Bhawan, Dedansar Road, Jaisalmer-345001	02992-254277	9414761318
17.	Jalore	Dr. Anil Kumar Jundia Drug Warehouse CM&Ho Office, Swasthya Bhawan, Bagra Road, Infront of Mamaji Ke Thaan, Jalore	02973-225864	9799493444
18.	Jodhpur	Dr. Manish Tak District Drug Warehouse C/o CM&HO Office, Near Jhalamand Circle, Purana Pali Road, Jodhpur-342001	0291-2721196	9460043277
19.	Pali	Dr. Deepak Tanwar District Drug Warehouse, Swasthya Bhawan, Near RTO Circle, Jodhpur Road, Pali	02932-256361	7597513720
20.	Sirohi	Dr. G. R. Daiya District Drug Warehouse, Swasthya Bhawan, CM&HO Office, Sirohi-307001	02972-220068	9784742910
21.	Baran	Dr. Sharad Pareek Drugware House, Govt. Hospital Campus, Baran	07453-232218	9413005521
22.	Bundi	Dr. Mahendra Chouhan Chief Medical & Health Officer Hospital Campus, Bundi	0747-2443516	9829622856
23.	Jhalawar	Dr. Radheyshyam Mehar District Drug Warehouse ANM Training Centre, Swasthya Bhawan Campus, Motor Garage Road, Jhalawar-326001	07432-232160	9414191597
24.	Sikar	Dr. L. K. Maurya District Drug Warehouse, Jhunjhunu Bye Pass Road, Near Shyosinghpura Housing Board, Sikar-332001	01572-248089	9414332232
25.	Barmer	Dr. Bhawani Shankar Gahlot Rai Colony Road, Zila Swasthya Bhawan, Barmer	02982-230771	9772205610
26.	Kota	Dr. M.K. Tripathi District Durgwarehouse, ZMS, Anantpura, Pathar Mandi, Kota	0744-2414134	9414187290
27.	Banswara	Dr. K.G. Tailor CM&HO Drug Warehouse C/o M.G. Hospital, Banswara-327001	02962-240330	9414103856
28.	Chittorgarh	Dr. Suresh Veerval Research Rehabilitation Centre (RRC) Block (1750sq feet), Burn Ward (3500 sq feet) IMA Hall, Chittorgarh-312001	01472-240948	9001990209
29.	Dungarpur	Dr. Shimbhу District Drug Warehouse, CM&HO Office, Old Hospital Campus, Dungarpur-314001	02964-230213	9828142609
30.	Pratapgarh	Dr. Shashi Kumar Sharma District Drug Warehouse, District Hospital Campus, Pratapgarh	-	9784175713
31.	Rajsamand	Dr. Anil Jain District Drug Warehouse, New Collectory Road, Near Tehsil Office, Rajsamand-313326	02952-224050	9784642587
32.	Udaipur	Dr. Rajesh Bharadia District Drug Warehouse, Medical and Health Deptt., Near T.B. Sanatorium, Post Office Badi, Udaipur	-	9314234778
33.	Jaipur-I	Dr. Moh. Rafique District Drug Warehouse, 1 RCH Buliding Mini Swasthya Bhawan, Sethi Colony, Jaipur	0141-2603468	9887027251
34.	Jaipur- II	Dr. Raguraj Singh District Drug Warehouse, 1 RCH Buliding Mini Swasthya Bhawan, Sethi Colony, Jaipur	0141-2605954	8094017004

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.3 ( )/आरएमएससी/वित्त/अन्तर DDW परिवहन/2015-16/

मेल : rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक:

## प्रपत्र 'ब' वित्तीय ई-निविदा

### ई-निविदा प्रपत्र

१. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह (Inter DDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन हेतु ई-निविदा
२. ई-निविदा दत्ता का नाम व डिक्ट का पूसा घता :
३. सम्बोधित : प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
४. संदर्भ : ई-निविदा सूचना क्रमांक : ..... दिनांक .....

५. परिवहन की जाने वाली औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि की दरें निम्नानुसार हैं :-

#### I. नॉन कॉल्ड चैन औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के कार्टन के परिवहन की दरें

क्र० सं०	वजन (प्रति कार्टन/पैकेट)	राज्य के अन्दर स्थित समस्त DDWs/MCDWs हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित		राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित	
		अंकों में (₹)	शब्दों में (₹)	अंकों में (₹)	शब्दों में (₹)
1	0 से 5 किलो तक वजन				
2	5 किलो से 10 किलो तक वजन				
3	10 किलो से 20 किलो वजन				
4	20 किलो से अधिक वजन				

- ६. दर्शाई गई दरें अनुबन्ध की तिथि से 12 माह (मार्च, 2017) तक वैध रहेगी। इसके आगे भी दोनों पक्षों की सहमति से ३ माह की समयावृद्धि की जा सकती है।
- ७. उक्तानुसार अंकित कार्य के विवरणानुसार दरें दोनों कार्यों के लिए अथवा दोनों में से किसी एक कार्य के लिए दी जा सकती है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

**राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन**  
**ई-निविदादाता के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएँ**

श्रेणी जिसके लिए ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही है—

1.	ई-निविदादाता	
2.	ई-निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम व पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	पता  मेल वेबसाइट	
4.	सम्बन्धित व्यक्ति का नाम पद मोबाइल नम्बर दूरभाष नम्बर फैक्स मेल	
5.	पंजीकरण संख्या एवं दिनांक एवं PAN नम्बर	
6.	नियम अधिनियम/नियम के तहत पंजीकृत है	
7.	प्रकार (लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, साझेदारी फर्म, प्रोपराईटरी फर्म आदि)	
8.	टर्न ओवर 2012–13 2013–14 2014–15	
9.	राजस्थान के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय है (सूची संलग्न करें)	
10.	सम्भाग के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय है (सूची संलग्न करें)	

11.	राजस्थान में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं है किन्तु अधिकृत ऐजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
12.	सभ्बाग में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं है किन्तु अधिकृत ऐजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
13.	ई-निविदादाता कम्पनी/फर्म या उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/नहीं है।	
14.	वाहनों का विवरण	
(i)	स्वयं के (संख्या)	
(ii)	अनुबन्धित (संख्या)	
15.	अन्य कोई सूचना	

1  
दिनांक :

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

**ACTION:** USE "PCMNR" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "TMR".

三國志

Customer Copy

punjab national bank

卷之三

卷之三

<b>Branch</b>					
<b>Institute Name</b>	Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur				
<b>Institute ID</b>	RMSCr - A/c No. 224602100024414				

**Branch**  
**Institute Name**  
**Institute ID**

Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur  
RMSCJ - Alc No. 2246002100024414

#### DETAILS OF THE SUPPLIER

Tender Ref No.

#### Type of Reptile

### Cash Deposits

卷之三

				Our hearts

1000 \*  
500 \*  
100 \*

卷之三

Total	50
Conns	20
	10
	5
	2

Total fee payable	
Commission	
Total amount	

Total	20
Color	10
Black	5
Total	20

Total fee payable	Commission	Total amount
0	0	0

Amount (in words): Five

卷之三

Name of the Depositor  
Signature  
Address for communication

Name of the Depositor  
Signature  
Address for communication

FOR BANK USE ONLY

For Bank use only

#### Acknowledgments

Castles of Ulster

Transport E-tender 28.01.2016

## FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent (S):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Ground of appeal:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
**(Supported by an affidavit)**

**7. Prayer:**

Place ..... Date .....

Appellant's Signature